फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक - 12.01.2026

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 08/2026 धारा 64(1) बीएनएस मे नामजद/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 08/2026 धारा 64(1) बीएनएस में नामजद/वांछित अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर पलनापुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर पलनापुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ।

घटना का विवरण:- दिनांक 11.01.2026 को अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री को सरसों के खेत में ले जाकर बलात्कार करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0सं0 08/2026 धारा 64(1) बीएनएस बनाम जोगेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में नामजद/वाछिंत अभियुक्त जोगेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह उपरोक्त ने पूछने पर अपने जुर्म की माफी मांगते हुए अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त जोगेन्द्र सिहं उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 08/2026 धारा 64(1) बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री नितिन कुमार
2. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार
3. का0 गुलशन ध्रुव
4. का0 टिल्लू कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0-12.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त ऋषि कुमार पुत्र नथुन्नी उर्फ अजुद्दी प्रसाद निवासी बिरिया नजीरपुर थाना मल्लावाँ जनपद हरदोई के विरूद्ध मु0अ0सं0- 189/2017 वाद संख्या 59/2017 धारा 363/366/376 भादवि0 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय पोक्सो कोर्ट - प्रथम द्वारा दिनांक 12.01.2026 को अभियुक्त ऋषि कुमार को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष के कारावास की सजा व 6500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी - श्री विकास कटियार

को0 मो0 - म0आ0 चाँदनी

पैरोकार - का0 संजीव कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

अमर उजाला

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात वर्ष की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के आठ वर्ष पुराने मामले में दोषी ऋषि कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मेराज अहमद ने सोमवार को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 6500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।

थाना राजेपुर के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव के फूलचंद्र, उसकी पत्नी और पुत्री पिंकी के विरुद्ध 17 मई 2017 को शिकायत की थी। कहा कि उसकी

आठ वर्ष पुराना मामला, पॉक्सो कोर्ट ने 6500 रुपये लगाया जुर्माना

16 वर्षीय पुत्री 9 मई 2017 को सुबह नौ बजे किसी काम से फूलचंद्र के घर गई थी। आरोपियों ने पुत्री को नए कपड़े पहनाकर कहीं भेज दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की।

जांच के दौरान नामजद आरोपियों की संलिप्तता गलत पाई गई। विवेचक ने नामजद आरोपियों के नाम विवेचना के दौरान हटा दिए। जांच में जनपद हरदोई थाना मल्लावां के गांव बिरिया नजीरपुर निवासी ऋषि कुमार का नाम प्रकाश में आया।

इस बीच किशोरी को भी पुलिस ने तलाश कर लिया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोपी ऋषि के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, चिकित्सीय एवं रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को नौ जनवरी को दोषी करार दिया था। दोषी पर लगाए गए जुर्माना से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिए।

गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट के आरोप साबित

अदालत से

फर्रुखाबाद। हर्ष फायरिंग के दौरान 14 वर्षीय किशोर की 16 वर्ष पहले मौत हो गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शैली रॉय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र के गांव खिन्नी नगला निवासी सरला देवी ने थाने में दो दिसंबर 2009 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि गांव में जेठ के पुत्र पिंटू की बरात जाने के दौरान निकरौसी कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान रमन जाटव ने उसके पुत्र मिथुन (14) को गोली मार दी। मिथुन की मौके पर ही मौत हो गई थी और

हर्ष फायरिंग में किशोर की हो गई थी मौत, एक हुआ था घायल

गांव का सरवीर भी गोली लगने से घायल हो गया था।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने रमन को रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 13 गवाहों को परीक्षित

16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पूरी की सुनवाई सजा आज

कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामदगी मेमो, नक्शा नजरी समेत सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।

रमन ने बताया कि वह तमंचे से हर्ष फायरिंग कर रहा था, इस दौरान किशोर के गोली लग गई थी। न्यायालय ने अपने निर्णय में घटना को हत्या की श्रेणी में न आने वाला गैर इरादतन हत्या करार दिया। आरोपी रमन को दोषी करार देते हुए दंड के बिंदु पर 13 जनवरी को सुनवाई करने की तारीख तय की।

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दैनिक जागरण

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कारावास

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : आठ साल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मुकदमे में अभियुक्त को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

सोमवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसमें राजेपुर थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने नौ मई 2017 को मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री का जनपद हरदोई थाना मल्लावा के गांव बिरिया नजीरपुर निवासी ऋषि कुमार अपहरण कर ले गया। खोजबीन करने पर आरोपित के बारे में जानकारी हुई। पुलिस ने अभियुक्त के पास से उनकी पुत्री को बरामद किया। पुत्री ने घर आकर बताया कि ऋषि कुमार ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। शुक्रवार को एडीजीसी विकास कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त ऋषि को अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो अधिनियम में दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त ऋषि कुमार को सात साल कारावास व साढ़े छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया।

सब्जी विक्रेता ने किशोरी से किया दुष्कर्म, जेल भेजा

संवाद सूत्र, जागरण . कंपिल : निर्माणाधीन मकान में किशोरी को अकेला पाकर सब्जी बेच रहा युवक उसे फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर में शिकायत की। वहां की पुलिस ने घटनास्थल कंपिल क्षेत्र का बताकर लौटा दिया। उधर कंपिल पुलिस उसे एटा जिले के संबंधित थाने जाने की सलाह देती रही। घटना के दो दिन बाद कंपिल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया।

जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के एक गांव में विगत शनिवार को एक किशोरी निर्माणाधीन मकान पर थी। उसी दौरान गांव सुल्तानपुर पलनापुर निवासी जुगेंद्र सिंह फेरी लगाकर सब्जी बेचते हुए वहां पहुंचा। जुगेंद्र किशोरी को फुसलाकर सरसों के खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने घटना की जानकारी पिता को दी तो वह पहले राजा का रामपुर थाने गए। वहां घटनास्थल फर्रुखाबाद के कंपिल क्षेत्र का बताकर भेज दिया गया। सोमवार को पुलिस ने आरोपित जुगेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कंपिल थाना प्रभारी नितिन कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

मीडिया सेल फतेहगढ़

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

1090
181
1076
112
1098
102
108
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र

कोतवाली मोहम्मदाबाद

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना शमसाबाद

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना मेरापुर

1090
Women Power Line

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना कम्पिल

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

1090
181
1076
112
1098
102
108
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र

महिला थाना

मिशन शक्ति 5.0

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

थाना नवाबगंज

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

Fatehgarhpolice